ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत अम्बोटा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सरदार जगजीत सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिवः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सरवन कुमार	01.04.2022 से 28.09.2023
2.	श्री सुनील कुमार	29.09.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	58.99
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.99
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.11
4)	7.4	सचिव द्वारा हस्तगत राशि से नगद रूप में भुगतान करना	1.15
5)	8.1	निर्माण सामग्री पेवर / ब्लॉक्स का अनियमित क्रय करना	6.79
6)	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.33
7)	8.3	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.97
8)	8.4	निर्माण कार्यों में सामग्री खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक भुगतान	0.21
9)	8.5	एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (PMKSY 2.0) के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान की वसूली न करना	0.31
10)	8.6	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.12
11)	8.7	15वें वित्तायोग शीर्ष से अनियमित भुगतान करना	0.08
12)	9.1	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	16.46
13)	9.2 & 9.3	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	15.09
14)	9.4	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	3.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क **₹7200** की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 563598 दिनांक 23/09/2022 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा- 4	निर्णीत	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	पैरा- 5	अनिर्णीत	
4.	पैरा- 6 (क)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 (क) में पुनः प्रारूपित।
5.	पैरा- 6 (ख)	अनिर्णीत	
6.	पैरा-7	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित।
7.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-9	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
15.	*पैरा-16*	*अनिर्णीत।*	
16.	*पैरा-17*	*अनिर्णीत।*	
17.	पैरा-18	अनिर्णीत।	

18.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-20	अनिर्णीत।	
20.	पैरा-21	अनिर्णीत।	
21.	पैरा-22	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः प्रारूपित।
22.	पैरा-23	अनिर्णीत।	
23.	पैरा-24	अनिर्णीत।	
24.	पैरा-25	अनिर्णीत।	
25.	पैरा-26	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.1 में पुनः प्रारूपित।
26.	पैरा-27	अनिर्णीत।	
27.	पैरा-28	अनिर्णीत।	
28.	पैरा-29	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.06.2024 से 15.06.2024 तक ग्राम पंचायत अम्बोटा के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	04/2022	12/2022
2023-24	11/2023	06/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 532/2024 दिनांक 15/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत अम्बोटा द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित गगरेट के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 563672 दिनांक 28/06/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत अम्बोटा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502/2024 दिनांक 10/06/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान नो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, स्वच्छ भारत मिशन (Offline), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (Offline), 15वां वित्तायोग (Online), 14वां वित्तायोग (Offline), मुख्य मंत्री आवास योजना (Offline), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Offline) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2022-23	4994955.68	8133690	13128645.68	7956618	5172027.68
2	2023-24	5172027.68	6343625	11515652.68	5616827	5898825.68

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अम्बोटा के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹407480** था :-

1)	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	5898825.68
2)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**6305782.68**
3)	दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	523.00
4)	**योग (2+3)**	**6306305.68**
5)	**अन्तर (4-1)**	**407480.00**

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gagret (own & GIA)	20037063232	635544.00
2	HDFC Gagret (PMAGY)	50100335236557	976414.30
3	HDFC Gagret (15th fc)	50100329744814	4691768.68
4	HDFC Gagret (SBM)	50100083120424	1190.50
5	HDFC Gagret (14th fc)	50100196437938	31.60
6	HDFC Gagret (MMAY)	50100196437925	833.60
		योग	**6305782.68**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	523.00
		योग (1+2)	**6306305.68**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹4.07 लाख का भारी अन्तर :

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹407480** का भारी अन्तर पाया गया | अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 512/2024 दिनांक 12/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA/33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक द्वारा 15वें वित्तायोग शीर्ष में दिनांक 02.04.2022, 03.04.2022, 01.04.2023, 01.07.2023, 01.01.2024 व 31.03.2024 को **₹390280** (120000+40000+100000+25620+33159+35773+35728) ब्याज व अनुदान का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.24 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया तथा शेष अंतर के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः *उक्त राशियों का रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकन किया जाए व शेष ₹17200 (₹407480-390280) के अन्तर की बैंक समाधान विवरणी शीघ्र तैयार करके लेखों में आवश्यक सुधार किया जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।*

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)	अन्तर (₹)
1	**2**	**3**	**4**	**5(4-3)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	603867.00	636067.00	32200
2	15वें वित्तायोग	4301488.68	4691768.68	390280.00
3	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	991414.30	976414.30	-15000 (इस व्यय का लेखांकन दिनांक 31-03-24 तक रोकड़ बही में नहीं किया गया था)
			योग	**407480**

(ङ.) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन-देन की प्रविष्टियों उपरांत इसे बंद करते हुए अंत शेष निकालना आवश्यक है | मासांत एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है | यद्यपि रोकड़ बहियाँ पंचायत प्रधान द्वारा आंशिक रूप से हस्ताक्षरित तो की गई थी, परन्तु न तो इनमें अंतशेष निकाले गए थे और न ही उनका नियमानुसार सत्यापन हुआ था | रोकड़ बहियों के अंतशेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है | अत: इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502/2024 दिनांक 10/06/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA-34 दिनांक 15/06/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़

बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹58.99 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502/2024 दिनांक 10/06/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹5898825.68** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502/2024 दिनांक 10/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPA/34 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502/2024 दिनांक 10/06/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPA/34 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.99 लाख वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502/2024 दिनांक 10/06/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPA/34 दिनांक 15/06/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹199400 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	295800	73200	369000	114600	254400
2023-24	254400	73200	327600	128200	199400

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.11 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹11200** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2022-23	4600
2	2023-24	6600
	योग	**11200**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 523/2024 दिनांक 14/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया

जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹800 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹800** की कम वसूली की गई थी।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
1	2022-23	400
2	2023-24	400
	योग	**800**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 524/2024 दिनांक 14/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राजकीय कोष के लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 सचिव द्वारा हस्तगत राशि से ₹1.15 लाख का नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड़ बही में दर्ज आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न वर्णित ₹115450** की मजदूरी, निर्माण सामग्री व स्टेशनरी के लिए भुगतान गृहकर से प्राप्त हस्तगत राशि से नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000/- से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 533/2024 दिनांक 15/06/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त नगद भुगतान गलती से हो गए थे तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नियमों के विपरीत किया गया सम्पूर्ण व्यय अनुचित है जिसे उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है । इसके अतिरिक्त सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम स०	मद	वाउचर संख्या	मस्ट्रोल / बिल स०	दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹)	विवरण
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	2(1)	6232	11.04.2022	42485	रेत, बजरी इत्यादि
2	यथोपरि	5	4825	23-02-2022	1510	रेत, बजरी इत्यादि
3	यथोपरि	6(1)	1583	22-12-2021	2100	सागर स्टेशनरी
4	यथोपरि	6(2)	623	28-06-2021	1003	स्टेशनरी
6	यथोपरि	6(3)	333	06-04-2022	2540	av कंप्यूटर
7	यथोपरि	6(4)	556	02-04-2022	4290	बोर्ड
8	यथोपरि	6(5)	--	11.04.22	7800	यात्रा भत्ता
9	यथोपरि	7(1)	24569	01.03.22 to 19.03.22	39900	मजदूरी
10	यथोपरि	7(2)	11	1.02.2022	13822	बिजली फिटिंग
				योग	**115450**	

8.1 ₹6.79 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित है तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 12/2022 व 06/2023 में **₹678736** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 527/2024 दिनांक 14/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम सख्या	**योजना**	**बिल**	**दिनांक**	**विवरण**	**राशि (18 % GST सहित) (₹)**
1	मनरेगा	750	11-02-2022	3000पेवर @15.222 प्रति पेवर	45666
2	मनरेगा	751	11-03-2022	3000पेवर @15.222 प्रति पेवर	45666
3	मनरेगा	752	11-04-2022	3000पेवर @15.222 प्रति पेवर	45666
4	मनरेगा	753	11-04-2022	3000पेवर @15.222 प्रति पेवर	45666
5	मनरेगा	769	15/11/2022	1000पेवर @15.222प्रति पेवर	15222

6	मनरेगा	768	15/11/2022	3000पेवर @15.222प्रति पेवर	45666
7	मनरेगा	765	13/11/2022	3000पेवर @15.222प्रति पेवर	45666
8	मनरेगा	766	14/11/2022	3000पेवर @15.222प्रति पेवर	45666
9	मनरेगा	775	11-02-2022	2000पेवर @15.222प्रति पेवर	30444
10	15FC	754	11-05-2022	3500पेवर @13.57प्रति पेवर	47495
11	15FC	755	11-05-2022	3500पेवर @13.57प्रति पेवर	47495
12	15FC	756	11-06-2022	3500पेवर @13.57प्रति पेवर	47495
13	15FC	757	11-06-2022	2500पेवर @13.57प्रति पेवर	33925
14	PMAGY	747	01-11-2022	3000पेवर @15.222प्रति पेवर	45666
15	PMAGY	748	11-01-2022	3000पेवर @15.222प्रति पेवर	45666
16	PMAGY	749	11-02-2022	3000पेवर @15.222प्रति पेवर	45666
				योग	**678736**

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.33 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट घ** अनुसार **₹433416** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 515/2024 दिनांक 13/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

8.3 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.97 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 12/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "ड."** अनुसार **₹96879.08** का अनियमित भुगतान किया गया| इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 528/2024 दिनांक 14/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अतः **₹96879.08** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.4 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.21 लाख का अधिक भुगतान:-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 12/2022 व 06/2023 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना शीर्ष से करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत व सीमेंट) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री अधिक जारी की गई थी तथा शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस

प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरनानुसार** सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹20595** का अधिक भुगतान किया गया था :-

क) **कार्य का नाम :- C/O Renovation of pond near Naagnath temple ward no 1**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**सीमेंट**
26220 23 to 25	CC 1:4:8	44.95	153
		योग	**153 बैग**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**200 बैग**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		47 बैग
	क्रय दर		372.15 प्रति बैग
	अधिक भुगतान		**17491**

ख) **कार्य का नाम :- C/O Renovation of pond bijliyan wala near land of Daljit Singh ward no 6**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रेत (घन मीटर)**
26220 6 to 8	CC 1:4:8	64.35	30.24
		योग	**30.24**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**33.98**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		3.74
	क्रय दर		830 प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान		**3104/-**

कुल अधिक भुगतान(क + ख)= 20595/-

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 518/2024 दिनांक 13/06/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि *अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।*

8.5 एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (PMKSY 2.0) के अंतर्गत लाभार्थियों से ₹0.31 लाख के अंशदान की वसूली न करना :-

एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना के नियमानुसार लाभार्थी को अपनी जमीन पर सिंचाई हेतु चैक डैम, टैंक इत्यादि के निर्माण हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी | इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए चैक डैम की लागत का सामान्य वर्ग से 10% और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति से 5% की दर से अंशदान लिया जाना अपेक्षित था | अंकेक्षण में उक्त योजना से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **निम्न व्यक्ति** से अंशदान प्राप्त नहीं किया गया था :-

क्रम संख्या	**लाभार्थी का नाम**	**प्रदान की गई राशि (₹)**	**वर्ग**	**अंशदान की प्रतिशतता**	**वसूली योग्य अंशदान की राशि (₹)**
1	हरदीप सिंह	307581	सामान्य	10%	30758

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 519/2024 दिनांक 13/06/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंशदान के रूप में न वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अत: परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभार्थी से अंशदान की राशि प्राप्त न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त उक्त राशि की वसूली लाभार्थी से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

8.6 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित

व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 12/2022 व 06/2023 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट-च** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹575200** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹11504** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**	**योग (₹)**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)**
1	2022-23	M/s Bhatia Tiles Industries Ambota	Pavers	265600	265600	5312 (2% x 265600)
2	2023-24	M/s Bhatia Tiles Industries Ambota	Pavers	309600	309600	6192 (2% x 309600)
				योग	**575200**	**11504**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 529/2024 दिनांक 14/06/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPA/33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹11504** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.7 15वें वित्तायोग शीर्ष से ₹0.08 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 12/2022 में व्यय वाउचरों अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 15वें वित्तायोग शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों हेतु पेवर/ब्लॉक का क्रय निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें

निम्न विवरणानुसार फर्म M/s Shri Rudra Tiles VPO Khad से 60MM पेवर ब्लॉक हेतु न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि तय न्यूनतम दर के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा फर्म M/s Bhatia tiles industries VPO Ambota को अधिक दरों से भुगतान किया गया | इस प्रकार उक्त व्यक्ति को **निम्न विवरनानुसार ₹7670** का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 530/2024 दिनांक 15/06/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPA/33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	**बिल संख्या**	**दिनांक**	**विवरण**	**मात्रा**	**भुगतान योग्य दर (₹)**	**भुगतान की गई दर (₹)**	**अन्तर**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	754	05.11.22	पेवर 60mm	3500	12.98	13.57	0.59	2065
2	755	05.11.22	पेवर 60mm	3500	12.98	13.57	0.59	2065
3	756	06.11.22	पेवर 60mm	3500	12.98	13.57	0.59	2065
4	757	06.11.22	पेवर 60mm	2500	12.98	13.57	0.59	1475
							योग	**7670**

9.1 ₹16.46 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 12/2022 व 06/2023 में **सलंग्न परिशिष्ट "छ" अनुसार ₹1646017** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 516/2024 दिनांक 13/06/2024 द्वारा

सचिव, ग्राम पंचायत अम्बोटा के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA/33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9.2 ₹7.70 लाख के व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 12/2022 व 06/2023 में सलंग्न **परिशिष्ट "ज"** में वर्णित कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹769966** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 517/2024 दिनांक 13/06/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA/33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9.3 ₹7.39 लाख के कार्यों के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 525/2024 दिनांक 14/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹738813 के निम्न विवरणानुसार** कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, 34 नंबर फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने

पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**माह**	**निर्माण कार्य का नाम**	**चयनित माह में भुगतान की गई राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	12/22	कम्पलीशन सरायें मोहल्ला डवाली वार्ड न. 5	44640
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	12/22	निर्माण रास्ता पुली से आबादी रविंदर	10800
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	12/22	निर्माण रास्ता सुखदेव के घर से नवीन के घर तक	4000
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	खाता निर्माण शमशान घाट शिवबाडी मन्दिर	95742
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	खाता निर्माण आबादी कमल कुमार	6000
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	खाता मुरम्मत नालियां सूदा मोहल्ला	16408
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	कम्पलीशन सरायें मोहल्ला डवाली वार्ड न. 5	90269
8	15वां वित्तायोग	12/22	C/o Path Shashtri House to devi Mandir	242968
9	स्वच्छ भारत मिशन	12/22	निर्माण Community Sanitary complex near shivvadi	11910
10	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	06/23	C/O CSC Patwar ghar	32623
11	PMAGY	12/22	खाता निर्माण रास्ता डवाली खड्डु से वेद प्रकाश के घर तक	145766
12	PMAGY	12/22	खाता निर्माण सोमा से जीत राम के घर तक	21920

13	PMAGY	06/23	खाता निर्माण नालियां व सोकपिट बिहारी के घर से शिव मन्दिर	15767
			योग	**738813**

9.4 उचित बिलों के बिना ₹3.00 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न शीर्षों से निम्नानुसार आपूर्तिकर्ता को सामग्री की ढुलाई व मजदूरी हेतु **निम्न विवरणानुसार ₹299595** का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 514/2024 दिनांक 13/06/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत अम्बोटा के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त कर लिए जाएंगे। अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	77 12/22	शून्य 19.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	21700
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	79 12/22	शून्य 19.12.22	हरबंस लाल सपुत्र श्री मोहन लाल अम्बोटा	मजदूरी	6500
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	80 12/22	शून्य 19.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	10800
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	81 12/22	शून्य 19.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	1000

5	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	82 12/22	शून्य 19.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	Cement loading & unloading charges	3000
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	26 06/23	शून्य 01.06.23	सुख देव सिंह सपुत्र श्री रघुबीर सिंह कुठेडा जसवाला	ढुलाई	1000
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	27 06/23	शून्य 01.06.23	रमन ठाकुर सपुत्र श्री बलजीत सिंह अम्बोटा	चायपान	10000
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	29 06/23	शून्य 16.06.23	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	6000
9	15th FC	53 12/22	शून्य 16.06.23	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	मिक्सचर	4000
10	15th FC	54 12/22	शून्य 16.06.23	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	13200
11	SBM	7 12/22	शून्य 17.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	11910
12	SBM (PFMS)	15 06/23	शून्य 03.06.23	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	5350
13	MNREGA	शून्य 06/23	95 28.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	13785
14	MNREGA	शून्य 06/23	100 16.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	49650
15	MNREGA	शून्य 06/23	99 16.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	46050
16	PMKSY 2.0	13 12/22	शून्य 28.12.22	विपन कुमार गांव अम्बोटा	ढुलाई	23950
17	PMKSY 2.0	15 12/22	शून्य 28.12.22	विपन कुमार गांव अम्बोटा	ढुलाई	8000
18	PMKSY 2.0	9 06/23	शून्य 19.06.23	विपन कुमार गांव अम्बोटा	ढुलाई	42000
19	PMKSY 2.0	10 06/23	शून्य 19.06.23	विपन कुमार गांव अम्बोटा	ढुलाई	21700
					योग	**299595**

9.5 ₹0.19 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 526/2024 दिनांक 14/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹18608 का निम्न विवरणानुसार** कार्य से सम्बन्धित मूल बिल को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPA-33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य में प्रयोग की गई सामग्री से सम्बन्धित मूल बिल को ढूंडकर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**माह**	**कार्य का नाम**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	SBM (PFMS)	06/23	C/O CSC Patwar ghar	HP Civil Supply Corp.	Cement	18608

9.6 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 520/2024 दिनांक 14/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPA/33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव

संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा । अतः भविष्य में नियमानुसार कृत कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	MNREGA	4776 15.09.22,	Sand, Agg.	14495
2	MNREGA	6232 25.03.23	Sand, Agg.	42485
3	PMKSY 2.0	2423 20.12.22	Sand, Agg.	26850
4	PMKSY 2.0	63972 19.12.22	CEMENT	37215
5	PMKSY 2.0	9015 01.06.23	Sand, Agg.	35870

9.7 अग्रिम राशि ₹0.74 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502/2024 दिनांक 15/06/2024 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPA-34 दिनांक 15/06/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन गगरेट को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹74430** का अग्रिम प्रदान किया गया था। लेकिन दिनांक 31.03.24 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था। अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन गगरेट से उक्त असमायोजित राशि को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिंनाक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि (₹)	दिनांक 31/03/24 तक समायोजित राशि (₹)	दिनांक 31/03/24 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)
1	PMKSY 2.0	63908 12/10/22	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	37215	0	37215

2	PMKSY 2.0	63978 22/12/22	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	37215	0	37215
				योग	**74430**	**0**	**74430**

10.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 503/2024 दिनांक 10/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPA-35 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है| अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

10.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 521/2024 दिनांक 14/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था | प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPA/33 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502/2024 दिनांक 10/06/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPA-34 दिनांक 15/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

4488-4492 12 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)78/2022—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	4994955.68	8133690	13128645.68	7956618	5172027.68
2	2023-24	5172027.68	6343625	11515652.68	5616827	5898825.68

ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	494203	1418770	1912973	1711021	201952
2	2023-24	201952	2329852	2531804	1927937	603867

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	469058	469058	469058	0
2	2023-24	0	346194	346194	346194	0

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2592777.68	3270808	5863585.68	1935692	3927893.68
2	2023-24	3927893.68	1061662	4989555.68	688067	4301488.68

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1752627	1752627	1752627	0
2	2023-24	0	1686508	1686508	1686508	0

प्रधान मंत्री आर्दश ग्राम योजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1696403.3	32012	1728415.3	687957	1040458.3
2	2023-24	1040458.3	37018	1077476.3	86062	991414.3

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1185693	1185693	1185693	0
2	2023-24	0	798059	798059	798059	0

स्वच्छ भारत मिशन की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	206620.5	4609	211229.5	210310	919.5
2	2023-24	919.5	84271	85190.5	84000	1190.5

14वां वित्तायोग Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	4165.6	95	4260.6	4260	0.6
2	2023-24	0.6	31	31.6	0	31.6

मुख्य मंत्री आवास योजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	785.6	18	803.6	0	803.6
2	2023-24	803.6	30	833.6	0	833.6

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा **4(क)** का अंतशेष	5898825.68
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**6305782.68**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	523.00
4)	**योग (2+3)**	**6306305.68**
5)	**अन्तर (4-1)**	**407480.00**

अंतर के कारण :-

1) दिनांक 02.04.22, 03.04.22, 01.04.23, 01.07.23, 01.01.24 व 31.03.24 को ₹120000+40000+100000+25620+33159+35773+35728 **कुल ₹390280** 15वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते में बैंक द्वारा ब्याज व अनुदान का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.24 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया तथा शेष अंतर के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने के उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या ५(ख)में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gagret (own & GIA)	20037063232	635544.00
	HDFC Gagret (PMAGY)	50100335236557	976414.30
	HDFC Gagret (15th fc)	50100329744814	4691768.68
	HDFC Gagret (SBM)	50100083120424	1190.50
	HDFC Gagret (14th fc)	50100196437938	31.60
	HDFC Gagret (MMAY)	50100196437925	833.60
		योग	**6305782.68**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	523.00
		योग (1+2)	**6305305.68**

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	295800	73200	369000	114600	254400
2023-24	254400	73200	327600	128200	199400

परिशिष्ट 'ग' पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत अम्बोटा

दिनांक 01.04.22 से 31.03.2024 तक विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

क्रम सख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	मुनीश कुमार	23-07-2022	02-08-2022	670940	200	200	0
2	सुशिल	16-09-2022	27-09-2022	670950	200	200	0
3	सुभम चौधरी	26-09-2022	10-07-2022	670951	200	200	0
4	रजत ठाकुर	27-09-2022	10-10-2022	670952	200	200	0
5	सोहन लाल	26-09-2022	10-11-2022	670953	200	200	0
6	विजय कुमार	10-08-2022	01-11-2022	670954	200	200	0
7	अभिषेक कुमार	04-12-2022	20-12-2022	670955	200	200	0
8	शुभम देव	02-12-2022	20-12-2022	670956	200	200	0
9	नरेश कुमार	04-12-2022	20-12-2022	670957	200	200	0
10	कर्ण सिंह	08-12-2022	20-12-2022	670958	200	200	0
11	सुरेश कुमार	04-12-2022	23-12-2022	670959	200	200	0
12	रोहित सैडल	04-12-2022	23-12-2022	670960	200	200	0
13	अक्षय कुमार	04-12-2022	23-12-2022	670961	200	200	0
14	गितेश कुमार	08-12-2022	29-12-2022	670962	200	200	0
15	सरीफ मुहम्मद	11-12-2022	29-12-2022	670963	200	200	0
16	अतुल खान	17-11-2022	04-01-2023	670964	400	200	200
17	अजरु दीन	09-12-2022	04-01-2023	670965	200	200	0
18	रविपाल	08-12-2022	04-01-2023	670966	200	200	0
19	अदरदीम	17-11-2022	14-2-2023	670981	400	200	200
20	रोहित कुमार	25-01-2023	20-02-2023	670967	200	200	0
21	ललित सिंह	07-02-2023	20-02-2023	670968	200	200	0
22	गौरव भाटिया	22-02-2023	15-03-2023	670969	200	200	0
23	अमन कुमार	22-02-2023	20-03-2023	670970	200	200	0
24	संजय कुमार	26-03-2023	06-04-2023	670971	200	200	0
25	मनप्रीत सिंह	17-03-2023	11-04-2023	670972	200	200	0
26	अभिषेक कुमार	16-02-2023	25-04-2023	670982	200	200	0
27	कोस्तव कुमार	07-05-2023	19-05-2023	670973	200	200	0
28	राहुल कुमार	03-05-2023	23-05-2023	670974	200	200	0
29	अनिल कुमार	30-05-2023	08-06-2023	670975	200	200	0
30	दीपक कुमार	27-03-2023	08-06-2023	670983	400	200	200
31	सामर्थ्य कुमार	20-05-2023	08-06-2023	670976	200	200	0
32	भानु प्रताप	03-07-2023	11-07-2023	670977	200	200	0
33	सुरिन्दर सिंह	26-06-2023	19-07-2023	670978	200	200	0
34	नसरत अली	10-05-2023	25-07-2023	670979	400	400	0
35	साहिल ठाकुर	23-06-2023	27-07-2023	670980	200	200	0

36	अशोक कुमार	21-06-2023	24-08-2023	670981	400	200	200
37	विपन कुमार	22-10-2023	03-11-2023	91702	200	200	0
38	विक्रांत	26-10-2023	24-11-2023	91703	200	200	0
39	अजय कुमार	23-10-2023	24-11-2023	91704	200	200	0
40	प्रदीप कुमार	18-11-2023	11-12-2023	91709	200	200	0
41	दीपक कुमार	26-09-2023	11-12-2023	91710	400	400	0
42	सुरजीत कुमार	07-12-2023	21-12-2023	91713	200	200	0
43	सौरभ	28-11-2023	21-12-2023	91714	200	200	0
44	लव ठाकुर	22-11-2023	21-12-2023	91715	200	200	0
45	रजिंदर कुमार	18-12-2023	31-01-2024	91720	200	200	0
46	सतीश कुमार	02-12-2023	02-02-2024	91722	400	400	0
47	अनिल कुमार	20-01-2024	13-02-2024	91723	200	200	0
48	अनिल कुमार	07-01-2024	16-02-2024	91726	200	200	0
49	सौरभ भाटिया	04-02-2024	17-02-2024	91727	200	200	0
50	मनोज कुमार	30-01-2024	01-03-2024	91729	200	200	0
51	दीपक चौधरी	21-01-2024	15-03-2024	91733	200	200	0
52	संदीप कुमार	14-02-2024	18-03-2024	91737	200	200	0
53	सुनील कुमार	05-03-2024	18-03-2024	91738	200	200	0
				योग	**12000**	**11200**	**800**

परिशिष्ट 'ख' पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	77 12/22	शून्य 19.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	21700
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	79 12/22	शून्य 19.12.22	हरबंस लाल सपुत्र श्री मोहन लाल अम्बोटा	मजदूरी	6500
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	80 12/22	शून्य 19.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	10800
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	81 12/22	शून्य 19.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	1000
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	82 12/22	शून्य 19.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	Cement loading & unloading charges	3000
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	83 12/22	शून्य 05.08.22	Madan lal vpo gagret	Board writing	12000
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	27 06/23	शून्य 01.06.23	रमन ठाकुर सपुत्र श्री बलजीत सिंह अम्बोटा	चायपान	10000
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	29 06/23	शून्य 16.06.23	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	6000
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	30 06/23	677 12.01.23	Pt. Amar nath Enterprises Ambota	PVC Pipe	3186
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	31 06/23	688 19.01.23	Pt. Amar nath Enterprises Ambota	PVC Pipe	7222
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	33 06/23	1191 18.09.22	Vijay Aryan Traders Gagret	Steel	35180
12	स्व: स्त्रोत व अनुदान	34 06/23	1270 30.09.22	Vijay Aryan Traders Gagret	Steel	41200

	समेकित					
13	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	35 06/23	131 11.06.23	Ankur Sharma Badera rajputan	Digital Sign.	3894
14	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	36 06/23	553 28.06.23	AV Computer Service Gagret	Mouse, Antivirus stc.	3363
15	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	38 06/23	171 28.06.23	Pt. Amar nath Enterprises Ambota	Paint Material	13889
16	15^{th} FC	50 12/22	90, 91 03.11.22	M/s Shree Ganpati Frost Mubarikpur	Water cooler	75520
17	15^{th} FC	52 12/22	346 09.12.22	Rudra Solar Enterprises mubarikpur	Solar Lights Repair	23550
18	15^{th} FC	53 12/22	शून्य 16.06.23	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	मिक्सचर	4000
19	15^{th} FC	54 12/22	शून्य 16.06.23	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	13200
20	PMAGY	5 06/23	575 25.05.23	Kamal Kishor Vpo Ambota	Salogan Writing	12960
21	PMAGY	6 06/23	2279 10.02.23	Vijay Iron traders gagret	steel	6420
22	PMAGY	7 06/23	724 10.02.23	Pt. Amar nath enterprises Gagret	PVC Pipes	7447
23	PMAGY	8 06/23	791 18.03.23	Pt. Amar nath enterprises Gagret	PVC Pipes	1900
24	MNREGA	शून्य 06/23	95 28.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	13785
25	MNREGA	शून्य 06/23	100 16.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	49650
26	MNREGA	शून्य 06/23	99 16.12.22	विपन कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर पाल अम्बोटा	ढुलाई	46050
					योग	**433416/-**

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट ङ

पैरा संख्या 8.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खंड अम्ब जिला ऊना

क्रम सख्या	योजना	माह	कार्य का नाम	बिल सख्या /दिनाक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	मनरेगा	Jun-23	निर्माण रास्ता व डगा भरिया की घट्टी	4776/ 15-09-2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
						बजरी	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						बजरी	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
2	मनरेगा	Jun-23	निर्माण रास्ता देव दत्त के घर से सुरेह्डे बाली खुई तक	4787 / 16-10-2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	19.82	1.62	32.1084	80	2568.672
						बजरी	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
						रेत	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
3	मनरेगा	Jun-23	निर्माण रास्ता देव दत्त के घर से सुरेह्डे बाली खुई तक	4785 / 30-10-2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
						बजरी	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						बजरी	25.48	1.52	38.7296	80	3098.368
						रेत	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
4	मनरेगा	Jun-23	निर्माण रास्ता देव दत्त के घर से सुरेह्डे बाली खुई तक	4786 /16-11-2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
						बजरी	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
						बजरी	25.48	1.52	38.7296	80	3098.368
						रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
5	मनरेगा	Jun-23	निर्माण रास्ता देव दत्त के घर से सुरेह्डे बाली खुई तक	4788 / 29-12-2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	22.65	1.62	36.693	80	2935.44
						बजरी	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
6	मनरेगा	Jun-23	निर्माण रास्ता नारायण निवास से सतपाल के घर तक	6232 / 25-03-2023	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	19.82	1.62	32.1084	80	2568.672
						बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
						रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
						बजरी	22.65	1.52	34.428	80	2754.24

39 (40)

7	PMKSY	Dec-22	निर्माण चेक डेंम हरदीप सिंह वार्ड न 9	2423 20/12/2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
						बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
						बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
8	PMKSY	Dec-22	निर्माण तालाव सूद बाला	2424 20/12/2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
						बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
						बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
9	PMKSY	Dec-22	निर्माण तालाव सूद बाला	2668 20/12/2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
						बजरा	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
10	PMKSY	Dec-22	नाविनिकरण तालाव नाग नाथ मन्दिर वार्ड न 1	2485 22/12/2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	22.65	1.62	36.693	80	2935.44
						बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
						बजरी	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
11	PMKSY	Dec-22	नाविनिकरण तालाव विजलिया बाला नजदीक रकवा दलजीत सिंह	2541 24/12/2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
						बजरी	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
						बजरी	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
12	PMKSY	Dec-22	नाविनिकरण तालाव विजलिया बाला नजदीक रकवा दलजीत सिंह	2669 28/12/2022	THAKUR STONE CRUSHER	रेत	33.98	1.62	55.0476	80	4403.808
						बजरी	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
						बजरी	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
13	SBM	Jun-23	निर्माण CSC पटवार भवन	4775, 03/06/2023	THAKUR STONE CRUSHER	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
						रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
14	PMKSY	Jun-23	नाविनिकरण तालाव पिपलिया बाला नजदीक रकवा अशवनीकुमार पुत्र कुलदीप सिंह	9015 01/6/2023	THAKUR STONE CRUSHER	बजरी	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
						बजरी	31.15	1.52	47.348	80	3787.84
						रेत	22.65	1.62	36.693	80	2935.44
										योग	77503.264
										25%पेनल्टी	19375.816
										कुल योग	96879.08

(41)

परिशिष्ट 'च' पैरा संख्या 4.6 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खंड गगरेट जिला ऊना HP			
माह 12/22 में M/s Bhatia Tiles Indutries अम्बोटा को किया गया भुगतान निम्नलिखित प्रकार से है:-			
क्र.स.	मद	बिल सं./दिनांक	राशि
1	15FC	754 5/11/2022	40250
2	15FC	755 5/11/2022	40250
3	15FC	756 6/11/2022	40250
4	15FC	757 7/12/2022	28750
5	PMAGY	747 1/11/2022	38700
6	PMAGY	748 1/11/2022	38700
7	PMAGY	749 2/11/2022	38700
8		योग	265600

कार्यालय ग्राम पंचायत अम्बोटा, विकास खंड गगरेट जिला ऊना HP			
माह 06/23 में M/s Bhatia Tiles Indutries अम्बोटा को किया गया भुगतान निम्नलिखित प्रकार से है:-			
क्र.स.	मद	बिल सं./दिनांक	राशि
1	मनरेगा	750 2/11/2022	38700
2	मनरेगा	751 3/11/2022	38700
3	मनरेगा	752 4/112022	38700
4	मनरेगा	753 4/11/2022	38700
5	मनरेगा	769 15/11/2022	12900
6	मनरेगा	768 15/11/2022	38700
7	मनरेगा	765 13/11/2022	38700
8	मनरेगा	766 14/11/2022	38700
9	मनरेगा	775 19/11/2022	25800
		योग	309600

परिशिष्ट 6

पैरा संख्या१.१में संदर्भित

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	30 06/23	677 12.01.23	Pt. Amar nath Enterprises Ambota	PVC Pipe	3186
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	31 06/23	688 19.01.23	Pt. Amar nath Enterprises Ambota	PVC Pipe	7222
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	33 06/23	1191 18.09.22	Vijay Aryan Traders Gagret	Steel	35180
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	34 06/23	1270 30.09.22	Vijay Aryan Traders Gagret	Steel	41200
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	38 06/23	171 28.06.23	Pt. Amar nath Enterprises Ambota	Paint Material	13889
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	39 06/23	76750 30.06.23	HP STATE CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	73384
7	15th FC	50 12/22	90, 91 03.11.22	M/s Shree Ganpati Frost Mubarikpur	Water cooler	75520
8	15th FC	51 12/22	754 to 757 05.11.22, 06.11.22	M/s Bhatia Tiles Industries Ambota	Pavers	176410
9	PMAGY	15 TO 17 12/22	747 TO 749 101.11.22, 02.11.22	M/s Bhatia Tiles Industries Ambota	Pavers	136998
10	PMAGY	6 06/23	2279 10.02.23	Vijay Iron traders gagret	steel	6420

11	PMAGY	7 06/23	724 10.02.23	Pt. Amar nath enterprises Gagret	PVC Pipes	7447
12	PMAGY	8 06/23	791 18.03.23	Pt. Amar nath enterprises Gagret	PVC Pipes	1900
13	MNREGA	शून्य 06/23	169 30.08.22	TRISHLA NATURAL AGRO PRODUCTS PVT. LTD THATHAL	PLANTS	3035
14	MNREGA	शून्य 06/23	4785 TO 4788 30.11.22, 16.11.22, 16.10.22, 29.12.22	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	119400
15	MNREGA	शून्य 06/23	750 to 753 02.11.22, 03.11.22, 04.11.22	M/s Bhatia Tiles Industries Ambota	Pavers	182664
16	MNREGA	शून्य 06/23	765 to 766 13.11.22, 14.11.22	M/s Bhatia Tiles Industries Ambota	Pavers	91332
17	MNREGA	शून्य 06/23	768 to 769 14.11.22, 15.11.22	M/s Bhatia Tiles Industries Ambota	Pavers	60888
18	MNREGA	शून्य 06/23	775 02.11.22	M/s Bhatia Tiles Industries Ambota	Pavers	30444
19	MNREGA	शून्य 06/23	4776 15.09.22,	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	14495
20	MNREGA	शून्य 06/23	6232 25.03.23	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	42485
21	PMKSY 2.0	4 12/22	2423 20.12.22	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	26850

22	PMKSY 2.0	6 12/22	63972 19.12.22	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	37215
23	PMKSY 2.0	5 12/22	63973 20.12.22	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	55822
24	PMKSY 2.0	7 12/22	2424 20.12.22	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	26850
25	PMKSY 2.0	8 12/22	2484 22.12.22	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	38116
26	PMKSY 2.0	9 12/22	63977 22.12.22	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	74430
27	PMKSY 2.0	10 12/22	2669 28.12.22	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	48145
28	PMKSY 2.0	11 12/22	63906 12.10.22	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	74430
29	PMKSY 2.0	11/2 12/22	2541 24.12.22	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	16110
30	PMKSY 2.0	12 12/22	2668 28.12.22	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	22005
31	PMKSY 2.0	14 12/22	92859 17.09.22	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	18608
32	PMKSY 2.0	7 06/23	193882 17.06.23	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	48067
33	PMKSY 2.0	8 06/23	9015 01.06.23	Thakur Stone Crusher Ambota	Sand, Agg.	35870
					योग	**1646017/-**

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट "ज" पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	77 12/22	निर्माण सरायें मोहल्ला ढवाली वार्ड 5	शून्य 19.12.22	ढुलाई	21700
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	78 12/22	निर्माण सरायें मोहल्ला ढवाली वार्ड 5	24512 (01.11.22 to 16.11.22)	मजदूरी	16440
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	79 12/22	निर्माण सरायें मोहल्ला ढवाली वार्ड 5	शून्य 19.12.22	सरिया बुनाई की मजदूरी	6500
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	28 06/23	खाता निर्माण शमशान घाट शिव वाडी मन्दिर अम्बोटा	24534 (01.05.23 TO 30.05.23)	मजदूरी	95742
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	30,31 06/23	खाता मुरम्मत नालियां व ड्रेन मोहल्ला सूद	677, 688 DTD. 12.01.23, 19.01.23	Pvc Pipe	10408
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	32 06/23	खाता मुरम्मत नालियां व ड्रेन मोहल्ला सूद	24555 (01.06.23 TO 20.06.23)	मजदूरी	6000
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	33,34 06/23	निर्माण सरायें मोहल्ला ढवाली वार्ड 5	1191,1270 18.09.22, 30.09.22	Steel	76380
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	38 06/23	निर्माण सरायें मोहल्ला ढवाली वार्ड 5	171 28.06.23	Paint material	13889
9	PMAGY	7 06/23	खाता निर्माण नालियां व सोकपिट बिहारी के घर से शिव मन्दिर	724 10.02.23	PVC Pipes	7447
10	PMAGY	8 06/23	खाता निर्माण नालियां व सोकपिट बिहारी के घर से शिव मन्दिर	791 18.03.23	PVC Pipes	1900
11	MNREGA	शून्य	C/O RASTA DEV	2346, 2347	मजदूरी (MB	28832

46 45

		12/22	DUTT KE GHAR SE SUREHDE BALI KHUI TAK	(16.11.22 TO 30.11.22), 2629 (01.12.22 TO 15.12.22)	No. 12677 P.no 47)	
12	MNREGA	शून्य 06/23	यथोपरि	4785 TO 4788 30.11.22, 16.11.22, 16.10.22, 29.12.22	Sand, Agg.	119400
13	MNREGA	शून्य 06/23	यथोपरि	750 to 753 02.11.22, 03.11.22, 04.11.22	Pavers	182664
14	MNREGA	शून्य 06/23	यथोपरि	765 to 766 13.11.22, 14.11.22	Pavers	91332
15	MNREGA	शून्य 06/23	यथोपरि	768 to 769 14.11.22, 15.11.22	Pavers	60888
16	MNREGA	शून्य 06/23	यथोपरि	775 02.11.22	Pavers	30444
					योग	**769966/-**

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

47

46